

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग-6

संख्या-709 / 11क0नि0-6-2003-बीस एम(116)-2000 टी0सी0
लखनऊ, 26मार्च,2003

अधिसूचना

प0आ0-224

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904(अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश और पणकर अधिनियम,1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) की धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-2091 / 11-क0नि0-6-2002-बीस एम(116)-2000 टी0सी, दिनांक 27 अप्रैल,2002 का अतिक्रमण करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से,निम्नलिखित वर्गों के आमोद सन् 1979 के उक्त अधिनियम के अधीन, आमोद कर के भुगतान से मुक्त होंगे,अर्थात:-

- 1--नाटक;
- 2--नौटंकी;
- 3--कौव्वाली;
- 4--कवि सम्मेलन;
- 5--मुशायरा;
- 6--शास्त्रीय और लोक संगीत, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(6) के अधीन आच्छादित है, को छोड़कर;
- 7--शास्त्रीय और लोक नृत्य,जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(6) के अधीन आच्छादित है, को छोड़कर;
- 8--वैराइटी प्रोग्राम,जिनमें अनन्य रूप से उपर्युक्त मद 1 से 7 तक के दो या उससे अधिक कार्यक्रम सम्मिलित है;
- 9--सभी स्तरों पर आयोजित खेल और क्रोड़ा जिसमें ओलम्पिक,एशियाड या राष्ट्रीय खेलों में कोई नियमित या प्रदर्शन खेल सम्मिलित है या जो भारतीय,खेल प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा विनियमित हो किन्तु उनमें पूलगेम,वालिंग एले, बिलियर्ड्स या स्नूकर जैसे खेल सम्मिलित नहीं हैं, जहाँ किसी खिलाड़ी को या तो स्वयं या अपने टीम के माध्यम से एक ही समय में खेल में प्रवेश करने और भाग लेने के लिए पच्चीस रुपये से अधिक का भुगतान करना पड़ता हो;
- 10--स्केटिंग;
- 11--दंगल और कुश्ती प्रतियोगिता जिसमें फ्री स्टाइल कुश्ती भी सम्मिलित है; और
- 12--सरकस जिसमें कलाबाजी के करतब भी सम्मिलित हैं।

आज्ञा से,
विनोद मल्होत्रा
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.709/XI-Ka.Ni-6-2003-20M (116)–2000 T.C.;dated March 26,2003:

N0.709/XI-ka.Ni-6-2003-20 M (116)–2000 T.C.
Dated Lucknow March, 26, 2003

In exercise of the powers under sub-section [1] of section 11 of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act,1979[U.P. Act.no.28 of 1979] read with section 21 of the Uttar Pradesh Genral Clauses Act. 1904 (U.P.Act.no.1 of 1904) and in supersession of Government notification no. 2091/XI Ka, Ni.-6-2002-20 M (116)–2000 T.C., dated April 27,2002, the Governor is pleased to order that with effect from the date of publication of this notification of this notification in the Gazette the following classes of Entertainment shall be exempted from payment of Entertainment Tax under the said Act of 1979, namely;–

1. Drama;
2. Nautanki;
3. Qauwali;
4. Kavi-Sammelan;
5. Mushaira;
6. Classical and Folk Music excluding that covered under sub-section (6) of section 3 of the said Act;
7. Classical and Folk Dance excluding that covered under sub-section (6) of section 3 of the said Act
8. Variety programmes consisting exclusively of two or more of item 1 to 7 above
9. Games and Sports organized at all levels which include a regular or demonstration event in Olympics,Asiad or National Games of which are regulated by the bodies recognised by the Sports Authority of India but do not include such games of Pool Games, Bowling Alley,Billiards or Snooker , where any player either himself or through his team has to make a payment exceeding twenty five rupees for admission and to participate in the game at a time;
10. Skating;
11. Dangals and Wrestling bouts including Freestyle Wrestling; and
12. Circus including acrobatic feats.

By order,
VINOD MALHOTRA,
Pramukh Sachiv.